

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 02/2020 (2020/00088)

प्रार्थीगण

1. जोगाराम पुत्र नारायणराम, जाति जाट, निवासी – ग्राम दर्ईजर तहसील व जिला जोधपुर।
2. कालूराम पुत्र मेहराराम, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम दर्ईजर, तहसील व जिला जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थीगण

1. कैलाशचन्द पुत्र किशनचन्द,
  2. रमेशचन्द पुत्र किशनचन्द,
  3. राजेशचन्द पुत्र किशनचन्द,
- सभी जाति महाजन, निवासीयान – नेहरू पार्क, जोधपुर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) बरखिलाफ आदेश आवंटन कमेटी दिनांक 10.10.1977 जिसके जरिये ग्राम दर्ईजर के खसरा नम्बर 173 की 4 बीघा 16 बिस्वा रास्ते की भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनचन्द पुत्र पूनमचंद के नाम से किया गया।

— — —

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (प्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश मेहता व अमित माहेश्वरी (अप्रार्थी संख्या 1 ता 3)

—: आदेश :-

दिनांक 29.07.2021

प्रार्थीगण ने यह राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) आदेश आवंटन कमेटी दिनांक 10.10.1977 जिसके जरिये ग्राम दर्ईजर के खसरा नम्बर 173 की 4 बीघा 16 बिस्वा रास्ते की भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनचन्द पुत्र पूनमचंद के नाम से किया गया को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दर्ईजर के खसरा नं0 173 की 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि रास्ते की भूमि थी। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030



173 की 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त भूमि धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण इसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है लेकिन भू-आवंटन सलाहाकार समिति के नियमन आदेश दिनांक 10.10.1977 के द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज को उक्त जमीन का आवंटन/नियमन किया गया और तहसीलदार के आदेश क्रमांक 448 दिनांक 15.07.1989 के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 22.07.89 को स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर राजस्व प्रार्थना-पत्र पेश हुआ है।

यह राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2020/1487 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया और दिनांक 10.08.2020 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा मूल म्युटेशन संख्या 335 पत्र क्रमांक 3672 दिनांक 10.08.2020 के जरिये न्यायालय में भेजा गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश मेहता व श्री अमित माहेश्वरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों में बतलाया कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन या नियमन करने का किसी को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा आदेश बिना क्षेत्राधिकार का प्रारम्भ से शून्य प्रभावी है जिसको किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। उक्त खसरा की भूमि जोधपुर से मथानिया जाने वाली डामर सड़क का भाग है। नियमन आदेश दिनांक 10.10.1977 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.07.1989 की प्रमाणित प्रतिलिपी तहसील कार्यालय से मांगी, प्राप्त नहीं हुई, इसके आधार पर भरा गया म्युटेशन संख्या 335 प्राप्त हुआ। खसरा नम्बर 173 की भूमि जोधपुर से मथानिया जाने वाली डामर सड़क का भाग हैं, उक्त सड़क 200 फुट चौड़ी हैं, उक्त भूमि सड़क के सेंटर से 50 फुट छोड़कर ही शुरू हो जाती हैं। उक्त भूमि रोड व सड़क की भूमि हैं, सड़क सीमा में होने से आवंटन/नियमन नहीं हो सकता, दिनांक 01.07.2020 को अप्रार्थीगण ने मौके पर मिट्टी डालना शुरू किया, समतल करना शुरू किया, उनके द्वारा बताया गया कि वे दुकानों के प्लोट काटकर बेचान करेगे, जिस पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा रास्ते का आवंटन हैं, इससे पूर्व प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी, जो देरी हुई वह माफ किये जाने योग्य हैं, धारा 14 (4) में किसी प्रकार की मियाद नहीं हैं। रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनचन्द या अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा या उपयोग उपभोग नहीं रहा, न कभी काश्त की गई, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का

नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रास्ते की भूमि का आवंटन किसी को भी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। म्युटेशन संख्या 335 के जरिये गैर मुमकिन रास्ते के स्थान पर किस्म बी-द्वितीय दर्ज कर दी गई, किस्म परिवर्तन का तहसीलदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तत्समय किस्म परिवर्तन का अधिकार मात्र राज्य सरकार को था, सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध, बिना क्षेत्राधिकार की व दोषपूर्ण है, मथानिया-औसियां जाने वाली सडक सीमा में वादग्रस्त भूमि है, जिस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है, ऐसी भूमि में किसी प्रकार का प्लोट काटने या बेचने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ उक्त नियमन/आवंटन आदेश व तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध नहीं होने के आधार पर प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश करने की छूट हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पूर्व में ही मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम डिलीट करने का आवेदन पत्र पेश किया गया, जो स्वीकार किया गया और अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की तरफ से माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और जवाब में मुख्यतः यह कथन किये गये कि खसरा नम्बर 173 कतई रास्ते का भूभाग नहीं है, खसरा नम्बर 173 की भूमि रास्ते को छोड़कर थी, खसरा नम्बर 173 की भूमि जो रास्ते को छोड़कर थी, उस पर अप्रार्थीगण के पिता का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा था फलस्वरूप भू आवंटन समिति ने इस भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया, प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई सोहनलाल, श्यामलाल, गणपतराम व उनके चचेरे भाई भंवराराम वगैरा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 177 जो जोधपुर दर्ज जाने वाली सडक के पूर्व दिशा में स्थित है, खसरा नम्बर 177 पश्चिम दिशा में है। खसरा नम्बर 173 की भूमि के पूर्व दिशा में सडक है, अप्रार्थीगण के पिता के खसरा नम्बर 173 की भूमि के अलावा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 175, 291, 174, 288 व 290 जो कि सडक के पश्चिम दिशा में थी, इस भूमि को वर्ष 2005 में अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किया गया, इसके अलावा खातेदारी का खसरा नम्बर 116 जिसमें कुआ है व खसरा नम्बर 116 की भूमि भी अप्रार्थीगण ने बेचान कर दी, खसरा नम्बर 173 की भूमि पर उनका आना जाना नहीं रहा, उसका फायदा उठाकर खसरा नम्बर 177 की भूमि जो सडक के पूर्व दिशा में है, प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों ने खसरा नम्बर 173 की 2500 से 3000 वर्ग फीट भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया, चूंकि यह सडक से चिपती हुई भूमि थी, इसलिये प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों ने प्लोटों में विभक्त कर विभिन्न व्यक्तियों को बेचान कर दिया। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 173 की भूमि बेचान करना चाहते थे, अप्रार्थीगण ने तहसीलदार जोधपुर को खसरा नम्बर 173 का सीमांकन करने का निवेदन किया, तहसीलदार जोधपुर ने

खसरा नम्बर 173 का सीमांकन करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देश दिये, हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया, उस सीमांकन से यह स्थिति स्पष्ट हुई कि प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों ने अप्रार्थीगण की 2500 से 3000 वर्ग फीट भूमि पर नाजायज कब्जा कर प्लोटों में विभिन्न व्यक्तियों को बेचान कर दिया, अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों को उलाहना दी तो व मरने मारने पर उतारू हो गये और अप्रार्थी संख्या 5 ने पुलिस थाना कडवड में इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद प्रार्थी संख्या 2 ने अपने भाई भंवराराम पुत्र सुरजाराम से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पूर्णतया झूठा दावा खसरा नम्बर 173 की भूमि को खसरा नम्बर 177 की भूमि बताकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फास्ट ट्रैक जोधपुर में दायर किया, खसरा नम्बर 177 के पश्चिम दिशा में सडक हैं और खसरा नम्बर 173 की भूमि से उनका कोई लेना देना नहीं था, खसरा नम्बर 173 की भूमि जो रास्ते की भूमि नहीं थी और 44 वर्ष पूर्व आवंटन कर दी गई, राजस्व रेकॉर्ड में गलत तरीके से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गया, उसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण, प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों को खसरा नम्बर 173 की भूमि से बेदखल नहीं कर सकें, और वे खसरा नम्बर 173 की भूमि पर कब्जा कर सकें, इस बदनियती से ओत प्रोत होकर प्रार्थना पत्र पेश किया और इस सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों द्वारा प्लोटों में विभक्त कर अप्रार्थीगण की भूमि को सम्मिलित करते हुए बेचान किये, उनका सम्पूर्ण विवरण देते हुए विस्तृत कथन दर्ज किये।

प्रार्थी संख्या 2 व उसके अन्य भाईयों ने जरिये आम मुख्तार हीराराम के खसरा नम्बर 177/6 की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2007 को निष्पादित किया उसमें भी पूर्व दिशा में रास्ता 100 फुट चौड़ा बताया गया है तथा खसरा नम्बर 177 की भूमि सडक के पश्चिम में स्थित हैं, प्रार्थी संख्या 2 कालूराम व भंवराराम ने खसरा नम्बर 177 की भूमि की 2 बीघा भूमि का बेचान जवरीलाल पुत्र दूदाराम जाति मेघवाल के पक्ष में दिनांक 06.01.2005 को किया, जिसमें भी उसके पश्चिम में मथानिया जाने वाली रोड बताई तथा अन्य विक्रय पत्र प्रस्तुत करते हुए उन विक्रय पत्रों में सडक की स्थिति प्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 177 के सह खातेदारों द्वारा जो उल्लेखित की गई उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और उक्त सडक की चौड़ाई 100 फुट होना स्वयं प्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 177 के खातेदारों द्वारा किये गये बेचान से स्पष्ट हैं तथा यह भी जवाब में कथन लिखा गया कि प्रार्थी द्वारा बेचान नामों में जो खसरा नम्बर 177 की भूमि बताई हैं वह तर्क के तौर पर खसरा नम्बर 177 की भूमि मान भी ली जावें तो खसरा नम्बर 177 की भूमि के बेचान नामों के साथ संलग्न किये गये नक्शे अनुसार उसके समानान्तर ही खसरा नम्बर 173 की भूमि स्थित हैं, ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर

173 की भूमि रास्ते की भूमि नहीं हो सकती हैं और खसरा नम्बर 177 भी रास्ते का भाग हैं। खसरा नम्बर 173 की भूमि रास्ते की भूमि नहीं होने से भू आवंटन सलाहकार समिति ने वर्ष 1977 में आवंटन की, राजस्व रेकॉर्ड में सहवन से रास्ता दर्ज हो जाने का फायदा उठाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण के कथन मौके पर दिनांक 01.07.2020 को मिट्टी डालकर भूमि को समतल करवाना शुरू करने व प्लोट काटकर बेचान करने के कथनों को इन्कार करते हुए कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर को खसरा नम्बर 173 का सीमांकन करवाने का निवेदन किया, तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का को सीमांकन के निर्देश दिये, सीमांकन पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवारजनों ने खसरा नम्बर 173 की भूमि पर नाजायज कब्जा कर प्लोटों में विभक्त कर बेचान कर दिया, इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवारजनों को उलाहना दी, वे मरने मारने पर उतारू हो गये, दिनांक 14.06.2020 को इस सम्बन्ध में पुलिस थाना करवड में रिपोर्ट दी, प्रार्थी संख्या 2 के भाई भंवराराम ने झूठा वाद सहायक जिलाधीश फास्ट ट्रैक, जोधपुर में पेश किया, जिसमें खसरा नम्बर 173 की भूमि पर अपना अधिकार जताया, प्रार्थीगण ने अपने विरुद्ध होने वाली कार्यवाही से बचने के लिये मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिनांक 10.10.1977 को भू आवंटन सलाहकार समिति ने न केवल अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता अपितु कुल 50 व्यक्तियों को भूमि नियमित की, जिसकी ग्रामवासियों को भलीभांति जानकारी है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 का जोधपुर में निवास होने से शेष खसरान् की भूमि बेचान करने के बाद दर्ज नही आने जाने के कारण प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई ने खसरा नम्बर 173 के बड़े भूभाग पर कब्जा कर प्लोटों में विभक्त कर बेचान कर दिया। म्याद कानून में सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र मूल अथवा अन्य न केवल सिविल प्रोसीजर कोड अपितु किसी विशिष्ट कानून में भी पेश किये जाते हैं तो उस पर आर्टिकल 137 लागू होता है।

खसरा नम्बर 173 की भूमि पर आवंटन से पूर्व स्व0 किशनचन्द जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था और वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का कब्जा है, खसरा नम्बर 173 की भूमि के सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्व0 किशनचन्द जी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया, उक्त भूमि पर स्व0 किशनचन्द जी का पुराना कब्जा था, जोधपुर मथानिया जाने वाली सडक के पश्चात् उक्त भूमि आई हुई थी, जिस पर निरन्तर कब्जा काश्त स्व0 किशनचन्द जी का होने से भू आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त भूमि आवंटन करने का निर्णय 10.10.1977 को लिया फलस्वरूप दिनांक 18.12.1985 को नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 388/85 सरकार बनाम राजेशचन्द,

कैलाशचन्द पुत्र स्व0 किशनचन्द पटवा का प्रकरण ड्रॉप किया। खसरा नम्बर 173 की भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त किशनचन्द का था और खसरा नम्बर 116 जिसके पूर्व दिशा में सडक हैं, जिसमें स्व0 किशनचन्द जी का कुंआ विद्यमान था और इसके अलावा अन्य खातेदारी के खसरान् 175, 291, 174, 288 जिसके पश्चिम दिशा में सडक हैं, उक्त भूमि की सिंचाई करने के लिये पानी खसरा नम्बर 116 से पाईप लाईन डालकर होदियां बनाई हुई थी, खसरा नम्बर 173 की भूमि से होकर पाईप लाईन डाली हुई थी, खसरा नम्बर 173 की भूमि में आज भी हौदी विद्यमान हैं।

विवादित भूमि जोधपुर से मथानिया-औसियां जाने वाली सडक 100 फुट के पश्चात् आई हुई हैं, प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा 100 फुट सडक होना दर्ज किया हैं, उससे स्पष्ट हैं कि खसरा नम्बर 173 की भूमि सडक के पश्चात् आई हुई हैं। प्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का कथन किया, जिससे अप्रार्थीगण भी सहमत हैं, और उसके लिये अलग से आवेदन पत्र पेश किया हैं। उपरोक्त कथन दर्ज करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अभिभाषक की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीगण ने मौजूदा प्रार्थना-पत्र आदेश आवंटन सलाहकार कमेटी दिनांक 10.10.1977 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 22.07.89 को भरा गया के विरुद्ध 44 वर्ष पश्चात् पेश किया है। खसरा नं0 173 की भूमि पैसो की जरूरत होने के कारण अप्रार्थीगण विक्रय करना चाहते थे इसलिए खसरा नं0 173 की पैमाइश के लिए तहसीलदार जोधपुर को निवेदन किया एवं पटवार हल्का माणकलाव द्वारा दिनांक 18.12.2019 को खसरा नं0 173 की पैमाइश कर उसका राजस्व नक्शा दिया गया और उक्त पैमाइश करने पर ज्ञात हुआ कि लगभग 2500 वर्गफीट दर्जजर से माणकलाव जाने वाली सडक पर माणकलाव की तरफ की भूमि पर नाजायज तरीके से प्रार्थी संख्या 02 कालूराम ने नाजायज कब्जा कर लिया तथा उसे खसरा नं0 177 की भूमि बताकर दो प्लॉट संख्या 15 व 16 श्री प्रकाशचन्द्र को विक्रय कर दिये। इस संबंध में प्रार्थी ने विक्रय पत्र के साथ नक्शा संलग्न किया और इस नक्शों में भी दर्जजर रोड़ की चौड़ाई 100 फीट होना बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी 2500 वर्गफीट जमीन जिस पर प्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया को हटाने को कहा तब कालूराम ने स्वयं के साथ प्रार्थी संख्या 01 जोगाराम को लेकर उक्त प्रार्थना-पत्र 44 वर्ष पश्चात पेश किया। प्रार्थीगण ने 200 फीट चौड़ी सडक गलत तरीके से बताकर अप्रार्थीगण के आवंटन को 44 वर्ष पश्चात गलत चुनौती दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरला स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के प्रकरण ए आई आर 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 282 में यह स्पष्ट विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न केवल

सी० पी० सी० अपितु किसी विशिष्ट कानून में भी प्रार्थना-पत्र पेश किया जाता है तो आर्टिकल 136 उस पर लागू होता है अर्थात् लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होते हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीचे दर्ज विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

" The changed definition of the words "applicant" and "application" contained in Sections 2 (a) and 2 (b) of the 1963 Limitation Act indicates the object of the Limitation Act to include petitions, original or otherwise, under special laws. The interpretation which was given to Article 181 of the 1908 Limitation Act of the principle of ejusdem generis is not applicable with regard to Article 137 of the 1963 Limitation Act Article 137 stands in isolation from all other Articles in Part I of the third division. This court in Nityananda Joshis case (AIR 1970 sc 200) (supra) has rightly thrown doubt on the two Judge Bench decision of this court in Athani Municipal Council case (AIR 1969 sc 1335) (supra) where this court construed Article 137 to be referable to applications under the Civil Procedure Code. Article 137 includes petitions within the word "applications." These petitions and applications can be under any special Act as in the present case."

म्याद कानून में हर प्रार्थना-पत्र, हर वाद की म्याद निर्धारित की गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1991 Supreme Court 2219 State of Punjab and others V. Gurdev Singh में स्पष्ट रूप से इस संबंध में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :-

First of all, to say that the suit is not governed by the law of limitation runs afoul of our Limitation Act. The Statute of Limitation was intended to provide a time limit for all suits conceivable. Section 3 of the Limitation Act provides that a suit, appeal or application instituted after the prescribed "period of limitation" must subject to the provisions of Section 4 to 24 be dismissed although limitation has not been set up as a defence. Section 2 (J) defines the expression "period of limitation" to mean the period of limitation prescribed in the Schedule for suit, appeal

or application. Section 2 (J) also defines, "prescribed period" to mean the period of limitation computed in accordance with the provisions of the Act."

मौजूदा प्रार्थना-पत्र पेश करने में यदि म्याद कानून में कोई स्पष्ट आर्टिकल प्रावधित नहीं है तो ऐसी स्थिति में Residue Article अनुच्छेद 113 लागू होता है और अनुच्छेद 113 के अनुसार प्रार्थना-पत्र पेश करने की अधिकतम म्याद तीन वर्ष है। मौजूदा प्रार्थना-पत्र 44 वर्ष पश्चात् पेश किये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र अवधि बाधित होने से काबिले खारिज योग्य है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि आवंटन के बाद आवंटी किशनचंद ने विवादित भूमि पर कभी काश्त व उपयोग उपभोग नहीं किया, न ही उनके वारिसान ने उपयोग उपभोग किया दिनांक 01.07.2020 को ही सर्वप्रथम मौके पर मिट्टी डालकर समतल करना शुरू किया तब ही सर्वप्रथम आवंटन की जानकारी हुई। खसरा नम्बर 173 की भूमि रेलवे लाईन व डामर की सडक के बीच में एक 40-50 फुट की पट्टी हो जो पुराना रास्ता था डामर सडक बनाई तब डामर सडक एवं रेलवे लाईन के बीच में रास्ते की भूमि खाली पडी थी, जिसमें जलदाय विभाग ने पानी की पाईप लाईन डाल दी थी, जो आज भी मौके पर हैं, कुछ लोग वहां से मिट्टी खोदकर ले गये, इसकी वजह से जगह जगह खड्डे हो गये, यदि कोई आवंटन के बाद कब्जा नहीं करता एवं उपयोग उपभोग नहीं करता तो साधारण ग्रामवासी को उस आवंटन की जानकारी होना सम्भव नहीं हैं।

वादग्रस्त भूमि रास्ते की जो 40-50 फुट चौडी पट्टी हैं, वहां काश्त नहीं हो सकती है, न किशनचन्द जी ने काश्त की, न बाद में काश्त हुई, न काश्त योग्य भूमि थी, अतः आवंटन का औचित्य नहीं था। आवंटन मात्र कृषि भूमि का ही किया जा सकता हैं, रास्ते की भूमि हमेशा-हमेशा के लिये रास्ते की भूमि रहती हैं, जिसको आवंटन करने का किसी को अधिकार नहीं हैं। धारा 16 (6) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत Public Utility की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने नीचे दर्ज नजीरात् में प्रतिपादित सिद्धान्तों को उल्लेखित किया:-

1. RRD 2009 Page 574
2. RLR 1991(1) Page 84
3. 2019(1) RLW Page 406 (Raj.)
4. 2013 (3) WLN Page 91

मुख्यतः प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रार्थीगण का कथन रहा कि आवंटन कमेटी या तहसीलदार को रास्ते की भूमि का आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं

हैं, और रास्ते की भूमि का आदेश एब इनीशीयों क्षेत्राधिकार विहीन हैं, जो आदेश एब इनीशीयों वोर्ड हैं और क्षेत्राधिकार नहीं हैं, ऐसे आदेश को निरस्त करवाने का कोई बंधन नहीं होता और न ही म्याद होती है और 58 वर्ष पश्चात् ऐसा आदेश अपास्त किया गया है। म्याद का बंधन वोर्ड व बिना क्षेत्राधिकार के आदेश होते हैं, उन पर ही लागू होता है, लेकिन रास्ते की भूमि के मामले में म्याद का बंधन लागू नहीं हाता है। यदि कोई नियमन का आदेश लेकर चुपचाप लेकर बैठ जाता है और मौके पर कार्यवाही नहीं करता है तो साधारण ग्रामवासियों को उसकी जानकारी नहीं हो सकती। जैसे ही मौके पर कार्य करना प्रारम्भ किया, ग्रामवासियों को जानकारी होते ही कार्यवाही की गई।

खसरा नम्बर 173 की भूमि को विक्रय करने के गलत आरोप लगाये हैं, खसरा नम्बर 173 की भूमि सडक के पश्चिम में है, कालूराम व उसके पूर्वजों की भूमि सडक के पूर्व व पश्चिम दिशा में है और सडक के पश्चिम में खसरा नम्बर 177/8 व 177/4 की भूमि है, विभिन्न बेचाननामें पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। मुख्य बिन्दु रास्ते की भूमि का आवंटन किया जा सकता है या नहीं, यह है, कालूराम ने कोई भूमि का बेचान नहीं किया है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुछ फोटोग्राफ्स एवं लेआउट प्लान खसरा नम्बर 173 गांव दर्इजर, प्रमाणित प्रतिलिपी म्युटेशन संख्या 335 खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का ग्राम पंचायत से किशनचन्द पुत्र पूनमचन्द कौम महाजन पटवा के पक्ष में पारित, फोटो प्रति म्युटेशन संख्या 418 खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किशनचन्द के निधन पर फौतेदगी के आधार पर कमला देवी पत्नी किशनचन्द व उनके पुत्रान के पक्ष में पारित, जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054, खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का श्रीमती कमला देवी पत्नी किशनचन्द, सुरेशचन्द वगैरा के पक्ष में पारित म्युटेशन की प्रति, ग्राम पंचायत माणकलाव की जमाबन्दी विभिन्न खसराजात् मय खसरा नम्बर 173 सम्वत् 2043 से 2046 की फोटो प्रति, एवं फोटो प्रति जमाबन्दी खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 सम्वत् 2055 से 2058, फोटो प्रति नक्शा मोमी ट्रैस ग्राम दर्इजर का पेश किये।

प्रार्थीगण के अभिभाषक ने न्यायालय में लिखित बहस प्रस्तुत की और मौखिक बहस में बतलाया कि दिनांक 01.07.2020 को मौके पर अप्रार्थीगण ने मिट्टी डालना शुरू किया एवं जमीन को समतल करना शुरू किया व बताया कि उक्त भूमि में वे दुकानों के प्लॉट काटकर बेचान करेंगे, जिस पर प्रार्थीगण को यह सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि खसरा न0 173 भूमि रास्ते का आवंटन है। इससे पूर्व प्रार्थीगण को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो देरी हुई है, वह माफ किये जाने योग्य है। वैसे धारा 14 (4) में किसी प्रकार की मियाद नहीं है और इन कथन के साथ दिनांक 10.10.1987 को जो नियमन/आवंटन आदेश को

अपास्त फरमाते हुए म्युटेशन संख्या 335 दिनांक 20.07.1989 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया।

प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में बतलाया कि उक्त रास्ते की भूमि का अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनचन्द या अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा या उपयोग-उपभोग नहीं रहा, न ही उनके द्वारा कभी काश्त की गई। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नियमन किशनचन्द को नहीं किया जा सकता था। नामान्तरकरण संख्या 335 के जरिये गै0 मु0 रास्ते के स्थान पर किस्म बी द्वितीय दर्ज कर दी गयी। किस्म परिवर्तन का तहसीलदार को अधिकार प्राप्त नहीं था। तत्समय किस्म परिवर्तन का अधिकार मात्र राज्य सरकार को ही था। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध, बिना क्षेत्राधिकार की जो दोषपूर्ण है, जो हर हालत में निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि खसरा नं0 173 की भूमि ग्राम दर्जर के रास्ते की भूमि है एवं रास्ते की भूमि के आवंटन को निरस्त करने के संबंध में प्रार्थीगण को ग्राम दर्जर के ग्रामवासी होने के कारण अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस में बतलाया कि खसरा नं0 173 रास्ते की भूमि बाबत् अप्रार्थीगण ने जो प्लानिंग की है, उसका नक्शा पेश हुआ है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के एक तरफ रेलवे लाईन व दूसरी तरफ जोधपुर से ओसियां जाने वाली डामर की मुख्य सड़क है एवं वादग्रस्त भूमि रोड़ बाउण्ड्री व रेलवे बाउण्ड्री का भाग है, इसलिए भी इसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि के बीच में से पीएचईडी की 02 फुट चौड़ी पानी की पाईप लाईन गुजरती है। अप्रार्थीगण पानी की पाईप लाईन को मिट्टी से ढककर उसके ऊपर दुकानों का निर्माण कर रहे है। भविष्य में कभी पानी के पाईप लाईन की रिपेयरिंग होगी या कभी पाईप लाईन लीक हुई तो बड़ा हादसा हो जायेगा।

प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण ने आदेश दिनांक 10.10.1977 व तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.07.1989 की मांग की लेकिन ऐसा कोई आदेश तहसील में उपलब्ध नहीं है इसलिए उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है। अप्रार्थीगण के पास ऐसा कोई आदेश हो तो श्रीमान् के समक्ष पेश कर सकते है। तहसीलदार को रास्ते की भूमि का आवंटन करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भी मात्र राज्य सरकार को ही प्राप्त है। माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्त संलग्न है जिसमें निर्णित किया गया है कि रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं हो सकता तथा रास्ता हमेशा-हमेशा के लिए रास्ता ही रहेगा और इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:-

1- RRD 2009 PAGE NO 574

"Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1957, Rules 5, 6, 13(ii)(b),— Allotment of land-Cancellation of allotment of land in dispute was shown as gair mumkin rasta in the revenue record and as such not available for for allotment for agricultural purposes – Held – Allotment of land in favour of father of appellant was rightly cancelled."

2- RLR 1991(1) PAGE NO 84

"(e) Raj. Land Revenue Act, 1956, S. 140- Land recorded as gair mumkin Gowa (Public way) cannot be treated as agricultural land-Report of Tehsildar that it was part of sawai chak, was obviously wrong.

(f) Public Way-Right of Way-Land which forms part of the way can only be utilised as a way and not otherwise becuase, the general public has a right to use that land as public path and no encroachment can be permitted on that public path-Even if any encroachment has been made it cannot be regularised but should be removed-Persons whose lands about that way have a right of ingress and engress through that public way and that right cannot be defeated by a private citizen by making encroachment upon the public way- A person whose land abuts the public way comes in the category of persons who have suffered special damages on account of that encroachment- It may be that certain other encroachments might have been made on the other side of the public way and abut those encroachment, no grievance has been made by the omplainant but that does not mean that the complainant cannot get any relief against the person whose encroachment has been challenged by him-(Constitution of India, Ar. 226-Relief)

(g) Raj. Land Revenue (Allotment, Conversion and Regularisation of Agricultural Land for Residential and Commercial Purposes in Urban Areas) Rules, 1971, Rule 3(3)-Gair Mumkin Rasta cannot form part of agricultural land-It cannot be put to any agricultural or semi-agricultural or any other use and every citizen and the person whose land abuts such rasta has a right to use every inch of public way.

(h) Raj. Land Revenue (Allotment, Conversion and Regularisation of Agricultural Land for Residential and Commercial Purposes in Urban Areas) Rules, 1971, Rule 4 (a)- Land set apart for public way cannot be allowed to be used for residential and commercial purposes unless its use is altered by the competent authority"

3- 2019 (1) RLW PAGE NO 406

"C.P.C., Order 8 Rule 3 to 5-Doctrine of "non-traverse"-Acceptance by non-denial-Denial of the averments made in the plaint by the defendant is vague and evasive, amounts to admission-Appellant plaintiff not submitted any proof in support of pleadings-Held-Land which forms part of the way can only be utilized as a way and not otherwise-Such land cannot be allotted by Municipal Corporation on lease or in any other form."

4- 2013 (3) W.L.N. 197

"Civil Procedure Code, 1908 Section 91 Right of-Public Way-Permissibility of-No one is empowered to acquire any right or title over land of public way- Municipal Board is custodian of such Land on behalf of Public at Large-Board cannot confer any right or title by way of Regularisation over the Land of Public Way."

प्रार्थीगण के अभिभाषक ने उक्त विधिक दृष्टान्तों के आधार पर यह बहस की कि विधि की सुस्पष्ट स्थिति एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि रास्ते की भूमि हमेशा के लिए रास्ते

की रहेगी एवं वह कृषि भूमि नहीं है इसलिए न तो उसको किसी को आवंटित किया जा सकता है, न ही उस पर कोई आवासीय या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। एजएब्जेनेशियों वॉर्ड व बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पर मियाद का कोई बंधन लागू नहीं होता है। वैसे धारा 14 (4) में आवंटन निरस्त करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई मियाद नहीं है। अतः धारा 3 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 4 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दर्ज़र के खसरा नं0 173 की रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा रास्ते की भूमि का आवंटन व नियमन निरस्त करते हुए इसके आधार पर भरे गये म्यूटेशन संख्या 335 दिनांक 22.07.1989 को निरस्त फरमाया जावे।

अप्राथीगण के अभिभाषक ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

1. भू-आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 10.10.1977 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. जमाबन्दी ग्राम दर्ज़र वर्ष 2049 से 2052 की फोटोप्रति
3. मुकदमा नम्बर 388/85 में पारित आदेश दिनांक 18.12.1985 की फोटोप्रति
4. नक्शा मोमी ट्रैस ग्राम दर्ज़र खसरा नम्बर 177 व 173 की स्थिति चित्रित करता हुआ।
5. तहसीलदार जोधपुर द्वारा भूमि का सीमांकन करवाने के सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक पटवार हल्का को दिया गया आदेश बाबत् खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा दिनांक 24.11.2016
6. कमला देवी के निधन के बाद कैलाशचन्द वगैरा के पक्ष में पारित किये गये नामान्तरणकरण की प्रति।
7. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना करवड को दिनांक 14.06.2020 को दी शिकायत की प्रतिलिपि।
8. प्रमाणित प्रतिलिपि बेचाननामा कालूराम बहक प्रकाशचन्द्र दिनांक 06.11.2009 प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान नामा हीराराम बहक श्रीमती इन्द्रा दिनांक 31.10.2007, प्रमाणित प्रतिलिपि बेचाननामा कालूराम वगैरा बहक जवरीलाल दिनांक 15.01.2005, प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान नामा भंवराराम बहक मीमा देवी दिनांक 05.04.2010, प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान नामा शैतानराम बहक हेमराज दिनांक 24.01.2012, प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान नामा शकूर खां बहक बालकराम दिनांक 25.06.2014, प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान नामा भंवरलाल बहक यशोदा दिनांक 11.03.2006, प्रमाणित प्रतिलिपि बेचान नामा श्यामलाल बहक श्रीमती रामप्यारी दिनांक 22.07.

2013, प्रमाणित प्रतिलिपी बेचान नामा श्यामलाल बहक संतोष परिहार दिनांक 22.07.2013, सेटेलाईट से लिया गया नक्शा असल की फोटोप्रति।

9. भंवराराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल द्वारा कैलाशचन्द, रमेशचन्द, राजेशचन्द, लीला भण्डारी, शान्ति देवी, वन्दना, रेखा के विरुद्ध श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फास्ट ट्रैक जोधपुर में प्रस्तुत दावा संख्या 46/2020 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की प्रति।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि खसरा नं0 173 पर अप्रार्थीगण के पिता का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा था। खसरा नं0 173 की भूमि रास्ते की भूमि नहीं होने से भू-आवंटन सलाहकार समिति ने वर्ष 1977 में आवंटन की और राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से रास्ता दर्ज हो जाने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण ने पूर्णतया गलत प्रार्थना-पत्र पेश किया है। दरहकीकत में खसरा नं0 173 जो कतई रास्ते का भू-भाग नहीं था और न ही है। प्रार्थी संख्या 02 कालूराम व उसके भाई की खातेदारी भूमि खसरा नं0 177 जो जोधपुर दर्इजर जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है और खसरा नं0 177 के पश्चिम दिशा में जोधपुर दर्इजर सड़क आई हुई है। खसरा नं0 173 की भूमि के पूर्व दिशा में सड़क है, जो भूमि सड़क से जुड़ी हुई है। खसरा नं0 173 की भूमि के अलावा अप्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 175, 291, 174, 288 व 290 जो कि सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित थी इस भूमि को वर्ष 2005 में अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय कर दिया गया। ऐसी स्थिति में खसरा नं0 173 की भूमि पर उनका आना जाना नहीं था और उसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी संख्या 02 व उसके भाईयों ने उसे प्लॉटो में विभक्त कर बेचना कर दिया। निष्पादित बेचाननामों के पड़ौस से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा की न होकर अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं0 173 की भूमि है। प्रार्थी संख्या 02 खसरा नं0 173 की भूमि को रास्ते की भूमि बता रहा है, जबकि प्रार्थी संख्या 02 व उसके भाईयों द्वारा जिन भूखण्डों का बेचान किया गया, उन बेचाननामों के पड़ौस के अनुसार वह खसरा नं0 173 की भूमि का ही भूभाग है और इससे स्पष्ट है कि खसरा नं0 173 कतई रास्ते का भाग नहीं है।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस में बतलाया कि भू आवंटन सलाहकार समिति जिसके निम्न सदस्यगण थे -

1. श्री के एस मणि आई0 ए0 एस0 सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक प्रशिक्षणधीन कम उप जिलाधीश जोधपुर।
2. श्री दरियाव सिंह, तहसीलदार जोधपुर।

3. श्री मनोहरनाथ मुन्शी, विकास अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय मण्डोर।

4. श्री जयसिंह, सरपंच माणकलाव।

इन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से नियमन की कार्यवाही की गई और तदनुसार खसरा नं0 173 का आवंटन करने का निर्णय लिया गया और उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 15.07.89 के जरिये नामान्तरकरण करने का आदेश दिया गया। खसरा नं0 173 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा था और इस संबंध में उनके विरुद्ध मुकदमा संख्या 388/85 धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दर्ज किया गया, उस कार्यवाही को भी पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत रिपोर्ट देने के पश्चात् स्व0 श्री किशनचन्द के पक्ष में उस कार्यवाही को ड्रॉप किया गया। दर्ज माणकलाव रोड़ जो कि जोधपुर से मथानिया जाने वाली सड़क है, उसकी चौड़ाई 100 फुट है और 100 फुट छोड़ने के बाद खसरा नं0 173 की भूमि थी अतः खसरा नं0 173 के आवंटन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई। यहां यह दर्ज करना उचित होगा कि जो विक्रय पत्र प्रार्थी संख्या 02 व उसके भाईयों ने निष्पादित किये और उसे खसरा नं0 177 की भूमि बता रहे हैं, उक्त भूमि खसरा नं0 173 की है और ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ऐसा कथन करने से एसटोप्ड है कि खसरा नं0 173 का आवंटन नहीं किया जा सकता हो। जब प्रार्थी संख्या 02 व उसके परिवारजन खसरा नं0 173 की भूमि को प्लोटों में विभक्त कर बेचान करते हैं तो वह भूमि रास्ते की नहीं रहती और अप्रार्थीगण की खसरा नं0 173 की भूमि रास्ते की भूमि हैं, ऐसा कथन करना प्रार्थीगण की स्पष्ट शरारत प्रमाणित करती है। खसरा नं0 173 की भूमि आज मौके पर खाली है और सड़क छोड़कर अप्रार्थी संख्या 02 व उसके परिवारजनों की भूमि खसरा नं0 177 आई हुई है, उसका फायदा उठाकर प्रार्थी संख्या 02 व उसके परिवारजन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और उसी मनतव्य से खसरा नं0 173 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से रास्ते के रूप में दर्ज हो गई जबकि खसरा नं0 173 की भूमि रास्ता 100 फुट छोड़ने के बाद आई हुई है, जोधपुर मथानिया रोड़ 100 फुट चौड़ी है जो अप्रार्थी संख्या 02 व उसके परिवारजनों के द्वारा ऊपर दर्ज निष्पादित बेचाननामों से स्पष्ट है। भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 10.10.77 को उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिताजी के साथ-साथ 50 अन्य व्यक्तियों को भी अन्य भूमियाँ नियमित की गई अतः सभी ग्रामवासियों को इस नियमन की भलीभांति जानकारी है।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट प्राप्त करने का कथन किया है, उसके लिये अप्रार्थीगण भी सहमत हैं और

उसके लिए अलग से प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया है। उक्त मौका रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आने से प्रार्थीगण द्वारा जो कहानी पूर्णतया गलत बतलाई गई है, उसका पर्दाफाश हो जायेगा और माननीय न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। अतः निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश जो अप्रार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नियमन/आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया है लेकिन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर है तथा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र भी सलंग्न नहीं है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुअल भाग 2 के नियम 30 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुअल भाग 2 के नियम 32 के अनुसार यदि अपेक्षित प्रतिलिपियां ऐसे समय के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो दर्शाये गये पर्याप्त कारणों से न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्त किया जाये, आपूर्ति नहीं की जाती है तो ज्ञापन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

दोनों पक्षकारान् की बहस सुनी गई और दौराने बहस पक्षकारान् द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। मौजूदा प्रकरण में खसरा नम्बर 173 की भूमि जो नियमित की गई वह भूमि रास्ते की भूमि है अथवा नहीं और मौके की स्थिति बाबत् दोनों पक्षों द्वारा विरोधाभासी कथन किये गये और प्रार्थी संख्या 2 जो खसरा नम्बर 177 का खातेदार हैं एवं अन्य खातेदारों के जो बेचान नामें पेश किये गये, उससे जो स्थिति उभरकर आई उसमें जोधपुर मथानिया सडक 100 फुट बताई गई जबकि प्रार्थना पत्र में उक्त सडक 200 फुट बताई गई और ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति रेकॉर्ड पर आने से प्रकरण के निस्तारण में पूर्ण प्रकाश पडता है ऐसी स्थिति में तहसीलदार, जोधपुर को मौका रिपोर्ट, नक्शा इत्यादि पेश करने हेतु पत्र लिखा गया, जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 25.06.2021 को बिन्दुवार मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा लट्ठा ट्रैस, आंशिक नकल जमाबन्दीयां एवं गुगल मानचित्र पेश किया।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकारान् को इस रिपोर्ट के आधार पर बहस करने हेतु पत्रावली नियत की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बताया कि उनकी बहस पूर्व में कर ली गई हैं और लिखित बहस भी दे दी गई हैं और अब बहस नहीं करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीगण की ओर से बहस की गई और अप्रार्थीगण द्वारा रिपोर्ट पेश होने के बाद एक शपथ पत्र राजेशचन्द पटवा का पेश किया जिसमें उन्होंने यह उल्लेखित किया कि खसरा नम्बर 174 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 175 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा जो उनके खातेदारी की भूमि

थी जिसके बीच में से जोधपुर मथानिया जाने वाली सडक निकाली गई और खसरा नम्बर 174 व 175 की भूमि जिस पर डामर सडक बनी हुई है, उक्त खसरान् की खातेदारी की भूमि बिना अवाप्त किये सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में दिनांक 10.10.1977 के आदेशानुसार खसरा नम्बर 175 की 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 174 की 14 बिस्वा भूमि सडक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई और इस सम्बन्ध में तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 10.10.1977 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश दिया और उस भूमि का उन्हे मुआवजा नही दिया और इन दोनो खसरान् की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में खसरा नम्बर 174/1 व 175/1 कायम किया जिसके नामान्तरणकरण क्रमांक 340 सम्वत् 2059-2062 तथा नामान्तरणकरण संख्या 194 राजेशचन्द पुत्र किशनचन्द नाबालिग के वली किशनचन्द के पक्ष में खसरा नम्बर 116, 174, 288 व 290 कुल खसरा 4 की रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा की नकल प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि प्रमाणित प्रतिलिपी की छूट प्राप्त करने हेतु पेश किया गया कि आवंटन व नियमन आदेश दिनांक 10.10.1987 जो वास्तव में 10.10.1977 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.07.1989 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नही हुई और यह बताया गया कि प्रतिलिपी उपलब्ध नही हैं और इस आधार पर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु छूट के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 10.10.1987 के आदेश को लिपीकीय त्रुटि मानकर 10.10.1977 दुरस्त भी किया गया। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 173 की भूमि आवंटन करने का निर्णय दिनांक 10.10.1977 को लिया गया जिसकी प्रमाणित प्रति अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा लिखित व मौखिक बहस पर मनन किया। आवंटन सलाहकार समिति में तत्कालीन सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक प्रशिक्षणाधीन कम उपजिलाधीश जोधपुर सदस्य थे और उनकी अध्यक्षता में उक्त बैठक सम्पन्न हुई, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी उपखण्ड अधिकारी से ही प्राप्त हो सकती थी लेकिन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र पेश नही किया गया और बिना प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त किये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवंटन आदेश की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से नरपत सिंह बनाम घेवरराम के प्रकरण में तलब की गई और कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/रेकॉर्ड/2017/656 दिनांक

01.08.2017 को आवंटन आदेश की मूल पत्रावली न्यायालय में प्रेषित की गई थी। इस प्रकरण में वह पत्रावली तलब की गई और तलब करने व उसका निरीक्षण करने पर दिनांक 10.10.1977 को भू आवंटन सलाहकार समिति का आदेश दिनांक 10.10.1977 पत्रावली में संलग्न हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 10.10.1977 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश नहीं करने का कोई कारण व औचित्य नहीं है और ऐसी स्थिति में धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है चूंकि दोनों पक्षों की गुणावगुण व म्याद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। इसलिये प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर करना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

सर्वप्रथम धारा 3 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया, जो मुख्यतः इस आधार पर पेश किया गया कि विधि में सभी प्रार्थना पत्र पेश करने की म्याद निश्चित है, मौजूदा प्रार्थना पत्र 44 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है, प्रार्थीगण को आवंटन की भलीभांति जानकारी है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण की इस सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह रही है कि रास्ते की भूमि कतई नियमित नहीं की जा सकती है, जो नियमन दिनांक 10.10.1977 को किया गया है वह आदेश प्रारम्भ से शून्य है और जो कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य है, उसकी कभी भी म्याद नहीं होती है और उसे चुनौती दी जा सकती है और प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि आवंटन के उपरान्त मौके पर कोई कृत्य नहीं किया गया और भूमि समतल करने का प्रयास किया तब ही उक्त आवंटन की जानकारी हुई और प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

दोनों पक्षों द्वारा इस सम्बन्ध में जो विधिक दृष्टान्त पेश किये गये, उनका अवलोकन करने के पश्चात् धारा 3 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि वास्तव में रास्ते की भूमि है अथवा नहीं और मात्र सहवन से रास्ते की भूमि दर्ज है अथवा यह भूमि रास्ते की भूमि है जो विधि अनुसार नियमन हो ही नहीं सकती थी।

चूंकि प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि सडक की भूमि है और सडक की भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने पत्रावली पर खसरा नम्बर 173 की भूमि रास्ते की भूमि दर्ज होने के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड पेश किया, जबकि अप्रार्थीगण का यह तर्क रहा है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं थी और यह भूमि रास्ते की भूमि से हटकर थी और जोधपुर मथानिया जाने वाली सडक की चौड़ाई 100 फुट है और सडक को छोड़कर यह भूमि आई हुई है चूंकि इस भूमि पर पहले से स्व० श्री किशनचन्द जी का कब्जा चला आ रहा था और यह तथ्य मुकदमा

संख्या 388/85 में दिनांक 28.12.1985 को पारित आदेश से स्पष्ट हैं जिसमें खसरा नम्बर 173 की भूमि पर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने का निर्णय लेने के पश्चात् 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर स्व0 किशनचन्द जी का जो कब्जा था, उस समय धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो प्रकरण दर्ज किया गया, वह प्रकरण ड्रॉप किया गया और यह भूमि चूंकि सडक की भूमि नहीं थी व सडक की भूमि को छोड़कर थी और स्व0 किशनचन्द जी का पूर्व से कब्जा चला आ रहा था और खसरा नम्बर 174 व 175 की भूमि भी उनके खातेदारी की भूमि थी, जिसके मध्य में से जोधपुर मथानिया जाने वाली सडक निकालने के कारण दिनांक 10.10.1977 को भूमि बिना अवाप्त किये खसरा नम्बर 174 व 175 की 14-14 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तरण करने का आदेश दिया गया जो नामान्तरणकरण संख्या 193 व 194 जिसमें यह भूमि राजेशचन्द पुत्र किशनचन्द नाबालिक वली कैलाशचन्द पुत्र श्री किशनचन्द कौम ओसवाल व रमेशचन्द्र पुत्र किशनचन्द्र नाबालिक वली कैलाशचन्द पुत्र किशन कौम ओसवाल के नाम नामान्तरित थी, उसमें से खसरा नम्बर 174 व 175 की 14-14 बिस्वा भूमि नामान्तरणकरण संख्या 340 के जरिये खसरा नम्बर 174/1 व 175/1 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सडक के नामान्तरित की गई। चूंकि खसरा नम्बर 173 की भूमि पर पूर्व से उनका कब्जा चला आ रहा था और वह कतई सडक की भूमि नहीं थी और न ही सडक के उपयोग आ रही थी, सडक की भूमि को छोड़कर थी और सहवन से सडक के रूप में दर्ज हो गई और फलस्वरूप भू आवंटन सलाहकार समिति ने खसरा नम्बर 173 की भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर जो मौका रिपोर्ट आई उस मौका रिपोर्ट में मौके की स्थिति निम्नानुसार है:-

“वर्तमान मौका अनुसार जोधपुर-मथानिया डामर सडक की चौड़ाई 100 फीट के बाद खसरा सं0 177/1 एवं 177/6 का आंशिक हिस्सा शेष बचता है। जिस पर मकान एवं दुकाने बनी हुई हैं। उक्त भूमि के पीछे स्थित खसरा सं0 173 को भी मकान दुकानों, बाडो में शामिल कर रेलवे लाईन तक कब्जा किया हुआ है। खसरा संख्या 177/5 का पूरा रकबा सडक सीमा में स्थित है। मथानिया जाने वाली डामर सडक के पूर्व में खसरा सं0 177/3, 177/3/1, 177/4, 177/4/2 आदि खसरे की भूमि स्थित हैं। जो संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है।”

इस रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा एवं गुगल मैप जो पेश हुआ है उससे यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि जो आवंटन/नियमन की गई, उसके पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 177/1 व 177/6 की भूमि ओर स्थित है और उसके पश्चात् पूर्व दिशा में ही जोधपुर-मथानिया जाने

वाली सडक हैं। इससे यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हैं कि खसरा नम्बर 173 की भूमि जो आवंटन/नियमन की गई, वह कभी भी रास्ते की भूमि नहीं थी और रास्ते के रूप में कभी भी उपयोग में नहीं आई। राजस्व रेकॉर्ड में खसरा नम्बर 173 की भूमि रास्ते के रूप में दर्ज थी, वह सम्भवतया त्रुटिवश थी और इस स्थिति को पूरी तरह से भू आवंटन सलाहकार समिति ने समझने के बाद चूंकि खसरा नम्बर 173 की भूमि पर पूर्व से स्व० किशनचन्द जी का कब्जा चला आ रहा था और राजेशचन्द द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जिसमें खसरा नम्बर 174 व 175 की भूमि जो उनकी खातेदारी की थी उसमें से 14-14 बिस्वा भूमि प्रत्येक खसरे की सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में दिनांक 10.10.1977 को ही आदेश दिया गया और उनका यह कथन है कि उक्त भूमि के मुआवजे की कोई राशि नहीं दी गई और भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 173 की भूमि रास्ते का भूभाग नहीं होने एवं रास्ते के पश्चात् खसरा नम्बर 177 की भूमि ओर स्थित होने के कारण नियमन/आवंटन करने का निर्णय लिया गया और खसरा नम्बर 177 की भूमि जो शेष बचती थी वह अप्रार्थी संख्या 2 के ही खातेदारी की ही हैं। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 173 की भूमि को रास्ते की भूमि बताकर प्रार्थीगण ने 44 वर्ष बाद अन्यथा कारणों से प्रार्थना पत्र पेश किया है, स्पष्टतया जाहिर होता है।

मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया कि खसरा नम्बर 177 व 177/6 का आंशिक हिस्सा जो शेष बचता है जिसमें मकानात् व दुकाने बनी हुई हैं, उस भूमि के पीछे स्थित खसरा नम्बर 173 को भी मकान, दुकानों, बाडो में सम्मिलित कर रेलवे लाईन तक कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीगण का यही कथन रहा है कि उनकी अन्य खसरान् की भूमि थी उसको विक्रय कर देने के बाद जोधपुर में रहने से वहां आना जाना नहीं था और फलस्वरूप खसरा नम्बर 173 की भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों ने नाजायज कब्जा कर लिया और निर्माण कार्य भी करवा लिया और इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का सीमांकन करवाया गया और सीमांकन के पश्चात् खसरा नम्बर 173 की भूमि पर नाजायज कब्जा कर जो बेचान इत्यादि किये गये, इसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी, तदुपरान्त अप्रार्थीगण, प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सके इस उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उसी भूमि को सडक की भूमि बताकर आवंटन/नियमन को निरस्त करवाने से सम्बन्धित है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में 200 फुट चौड़ी सडक होने का कथन भी महज अप्रार्थीगण की भूमि के नियमन को गलत बताने की गरज से गलत दर्ज किया है, जबकि जोधपुर-मथानिया डामर सडक की चौड़ाई 100 फुट ही है और 100 फुट के पश्चात् भी स्वयं अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का आंशिक हिस्सा

बचना रिपोर्ट से स्पष्ट हैं अतः खसरा नम्बर 173 की भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं थी और रास्ते की भूमि बताकर नियमन/आवंटन को निरस्त करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वह प्रार्थना पत्र 44 वर्ष पश्चात् निश्चित रूप से म्याद बाहर हैं।

प्रार्थी द्वारा ऊपर दर्ज नजीरे पेश की गई, जिसमें मुख्यतः सडक की भूमि नियमन नहीं की जा सकती हैं, उस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया लेकिन मौजूदा मामले में जो भूमि नियमित की गई हैं, वह भूमि रास्ते से हटकर थी और उसके पश्चात् अन्य खातेदारी भूमि भी विद्यमान थी और उसके पश्चात् सडक हैं और ऐसी स्थिति में चूंकि इस भूमि पर स्व० किशनचन्द पटवा का पूर्व से कब्जा चला आ रहा था और इसके अलावा खसरा नम्बर 174 व 175 की भूमि राजेशचन्द्र, रमेशचन्द्र नाबालिग वली की खातेदारी की थी, जिसमें से 14-14 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तरित करने का आदेश दिनांक 10.10.1977 को पारित किया गया। इससे यह स्पष्टतया जाहिर होता है कि चूंकि खसरा नम्बर 174 व 175 की भूमि में से 14-14 बिस्वा भूमि रास्ते के लिये ली गई और जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया और खसरा नम्बर 173 की भूमि स्व० किशनचन्द पटवा काबिज था और उनका कब्जा होने से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने का जो निर्णय लिया गया, वह पूर्णतया मौके की स्थिति के अनुरूप था और राज्य व सार्वजनिक हित में किया गया।

नियमन का आदेश दिनांक 10.10.1977 को पारित किया गया और मौजूदा प्रार्थना पत्र उसके 44 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण का कथन कि अप्रार्थीगण इस भूमि पर काबिज नहीं रहे अतः उन्हें नियमन की जानकारी नहीं थी, पूर्णतया गलत साबित हैं। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार इस भूमि पर Q R S दुकाने भी अप्रार्थीगण द्वारा बनाई गई और इसके अलावा दिनांक 10.10.1985 को पारित किये गये आदेश से भी स्पष्टतया साबित है कि अप्रार्थीगण पूर्व से इस भूमि पर काबिज थे ऐसी स्थिति में यह भूमि नियमन की गई। प्रार्थीगण इसी गांव के निवासी हैं और विशेष रूप से प्रार्थी संख्या 2 खसरा नम्बर 177 की भूमि का खातेदार हैं जो खसरा नम्बर 173 के सामने ही आया हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को इस नियमन की जानकारी नहीं हो, कतई नहीं माना जा सकता है।

खसरा नम्बर 173 के नियमन के 44 वर्ष पश्चात् उस नियमन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और अप्रार्थीगण द्वारा AIR 1977 SC Page 282 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त से स्पष्ट है कि म्याद कानून की धारा 2 (ए) व 2 (बी) में सभी प्रार्थना पत्र मूल अथवा अन्यथा विशेष कानून के तहत पेश किये गये उन सभी पर म्याद कानून लागू होता है और म्याद कानून का आर्टिकल

137 यदि किसी विशेष प्रार्थना पत्र के लिये म्याद निर्धारित नहीं हैं तो लागू होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजरी AIR 1991 SC 2219 में यह स्पष्ट विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है म्याद कानून सभी वाद, प्रार्थना पत्र एवं अपील पर लागू होता है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2009 (9) SCC Page 352 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी Statute में यदि कोई समय सीमा पुनरीक्षण की शक्तियों को प्रयोग करने के लिये निर्धारित नहीं भी है तब भी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग उचित (Reasonable) समय में ही किया जा सकता है और साधारणतया उचित (Reasonable) समय रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये 3 वर्ष हैं और उक्त प्रकरण में 17 वर्ष पश्चात् जो रिवीजन पेश की गई, उसे स्पष्टतया म्याद बाहर माना गया।

मौजूदा मामले में भी नियमन की कार्यवाही 44 वर्ष पूर्व की गई और मौजूदा प्रार्थना पत्र 44 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है। प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं नियमन आदेश से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि पर किशनचन्द पटवा पूर्व से काबिज चले आ रहे थे, खसरा नम्बर 173 की भूमि कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग नहीं आई, न ही रास्ते की भूमि थी, क्योंकि खसरा नम्बर 173 के पश्चात् खसरा नम्बर 177/1 व 177/6 की भूमि शेष रहती है और खसरा नम्बर 177/1 व 177/6 के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 177/4, 176, 175 व 174 की भूमि विद्यमान थी और खसरा नम्बर 174, 175 व 176, 177/4/2, 177/4, 177/1 की ही भूमि रास्ते के रूप में थी, खसरा नम्बर 173 की भूमि उससे हटकर थी, जो रास्ते की भूमि नहीं थी और न ही रास्ते के रूप में उपयोग आ रही थी। इसके अलावा खसरा नम्बर 174 व 175 की भूमि में से सडक निकाली गई और जो भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज हुई और खसरा नम्बर 173 की भूमि उसको छोड़कर स्थित होने के कारण नियमन की गई है। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि कभी भी सडक की भूमि नहीं रहीं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र 44 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है वह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है। इसके अलावा प्रार्थी संख्या 2 जो कि खसरा नम्बर 177 का खातेदार है, और अन्य खातेदारों ने खसरा नम्बर 173 की भूमि पर कब्जा कर लिया इसलिये यह प्रार्थना पत्र अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद श्री भंवराराम पुत्र सुजाराम जो कि खसरा नम्बर 177 का खातेदार होना बताकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस वाद के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि का कोई अस्तित्व ही नहीं होना बताया। इससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि को रास्ते की भूमि बताकर नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 को चुनौती दी गई है। मौका रिपोर्ट व उपरोक्त विवेचन से

स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 173 की भूमि कभी भी रास्ते की भूमि के रूप में उपयोग में नहीं आई तथा वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भी सड़क सीमा की 100 फीट भूमि के पश्चात स्थित है। आवंटन सलाहकार समिति ने बैठक दिनांक 10.10.1977 में अन्य प्रकरणों के साथ खसरा नं० 173 का भी सर्वसम्मति से नियमन किया है। साथ ही 10.10.77 को ही अप्रार्थी के खातेदारी के खसरा नं० 174 व 175 में से 14-14 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई है। अतः 44 वर्ष पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थी का नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सारहीन होने होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।